



बिहार शिक्षण प्रशासिककारी कार्यालय | MUZAFFARPUR  
शिक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना  
प्रमाण पत्र



पत्रांक - 684/BE /  
दिनांक - 31.03.2023

बिहार / BIHAR  
Muzaffarpur District  
Bihar Sahakar Sahasra Shiksha Yojana MUZAFFARPUR

बिहार - बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के अन्तर्गत 18 के उपधारा 1 के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र ।

प्रमाणपत्र  
आपके आदेशानुसार दिनांक 27-07-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिमासिक समिति के बैठक दिनांक 21-03-2023 में विद्यार्थी के आलेख में आपके विद्यालय Mother Teresa Vidyapeeth, MANIKA BISHUNPUR CHAND MUSHAHARI MUZAFFARPUR, MANIKA BISHUNPUR CHAND MUSHAHARI MUZAFFARPUR, 843119 को प्रमाण पत्र प्रदान हेतु तीन वर्षों 31-03-2023 से 31-3-2026 अवधि के लिए औपबधिक प्रदीकृति प्रदान की जाती है।

- 1. प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अनुपालन के अर्धीन होगी।
- 2. प्रमाणपत्र किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- 3. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- 4. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पट्टे के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- 5. कक्षा 2 में उपरत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलेख में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचारण करेगा।
- 6. सीआईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्वीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
- 7. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
- 8. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :
  - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से विष्कारित किया जाएगा।
  - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलेख में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलेख में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
  - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
  - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगा।
  - (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

- 9. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
- 10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलेख में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

(I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 200 हेक्टेयर

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 200 हेक्टेयर

(III) खेल के मैदान का क्षेत्र :-

(IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 46

(V) प्रशासनिक कार्यालय सड़क-भंडार कक्ष :- 2

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग गौशाला :- Both Indian and Western , Boys :- 10 , Girls 8

(VII) मेजबान की सुविधा :- 2

(VIII) मजबूत भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(IX) बाधित सुविधा :-

(X) शिक्षण अधिष्ठान सामग्री खंड-कुट उपकरण, पुस्तकालय :- MAP,GLOBE, MARKER, PLAY CARD ETC , FOOTBALL, VOLLEYBALL,BADMINTON ,CRICKET, CARRON BOARD, CHESS, SKIPPING , ( Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 5 )

11. कोई भी अस्वीकृत कक्षा विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा क्रीडा विकास के लिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1950 (1950 का 21) के अन्तर्गत निर्दिष्ट सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के साथ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंतिम एवं अन्तर्गत प्रशासनिक कार्य रिकॉर्ड के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अंतर्गत में उच्चतम लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक नलि प्रतिदर्श बिना शिक्षा अधिकार को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को अस्वीकृत प्रतीक कोड संख्या [ 2151212202172719371093, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रतीक कोड संख्या के तहत रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समस्त स्तर पर निर्णय क्षमताओं का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. एंटी सोसाइटी के निर्देशन के तहत कार्य की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुसूचक II के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

विश्वस भाजन

हो /-

जिला शिक्षा पदाधिकारी, MUZAFFARPUR  
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार